

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष ~~प्रथम नियुक्ति~~ वर्ष 1983-84

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम दुर्गेश कुमार पाराशर  
 (2) वर्तमान धारित पद कार्यपालन मंत्री (सिविल) (3) कार्यालय का नाम अधी. मंत्री (अ. उ. र.) - निर्माण) MPPTCL जबलपुर  
 (4) वर्तमान वेतन रु. 57040/ (मूल वेतन) (5) भविष्य निधि क्रमांक 22886708 (6) कर्मचारी संख्या 90441204  
 ग्रेड पे रु. 7600/

उस जिले उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया • खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
अमोघमानगर मोपाल (म. उ.)	रहवासी भवन HFG 146 अमोघमानगर मोपाल (म. उ.)	18मी. x 12मी. = 216 वर्ग मी.	लगभग रु. 30.00 लाख	उक्त भवन स्वयं एवं पत्नी के नाम पर समुक्त रूप से है।	उक्त भवन के सौदागरी के नाम पर अर्जित किया गया है। इसके रस्तावेजों के पास बंधक है। कालांतर में म. उ. हाऊसिंग बोर्ड, मोपाल रु. वर्ष 2011 में प्राप्त किया गया है।	निरंक	

हस्ताक्षर दुर्गेश कुमार पाराशर  
 नाम डॉ. के. पाराशर  
 पद कार्यपालन मंत्री (सिविल)  
अधी. मंत्री (अ. उ. र.) - निर्माण)  
MPPTCL, जबलपुर

• जहाँ लागू न हो काट दीजिये  
 • • ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये  
 • • • इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं  
 टिप्पणि:- मंडल द्वारा ग्राह्य म0प्र0 शासकीय सेवक(आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा कि अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर(अचल) संपत्ति का विवरण देवे।